

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 10, सोमवार, शके 1947- सितम्बर 01, 2025 <i>Bhadra 10, Monday, Saka 1947- September 01, 2025</i>	

भाग-3(क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत
करने से पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 01, 2025

संख्या एफ. 13(16)विशा/विस/2025 :-राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन)
विधेयक, 2025 जैसा कि दिनांक 01 सितम्बर, 2025 को राजस्थान विधान सभा में
पुरःस्थापित किया गया, सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

भारत भूषण शर्मा,
प्रमुख सचिव।

2025 का विधेयक सं.16

राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।
भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम
बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान माल और सेवा कर
(द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

(2) धारा 2(i) और धारा 5, 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी हुई समझी जायेंगी।

(3) यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे
जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा
सकेंगी और इस अधिनियम के प्रारंभ के ऐसे किसी उपबंध में के किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस
उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश से किया जायेगा।

2. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,-

(i) खण्ड (61) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन” के स्थान पर अभिव्यक्ति “इस अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन”, 1 अप्रैल 2025 से प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) खण्ड (69) में,-

(क) उप-खण्ड (ग) में, आयी विद्यमान अभिव्यक्तियों “नगरपालिका या स्थानीय निधि” के स्थान पर “नगरपालिका निधि या स्थानीय निधि” प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ख) विद्यमान उप-खण्ड (ग) के पश्चात् और विद्यमान उप-खण्ड (घ) से पूर्व, निम्नलिखित नया स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण.- इस उप-खण्ड के प्रयोजनों के लिए-

(क) “स्थानीय निधि” से किसी पंचायत क्षेत्र के संबंध में, लोक कृत्यों का निर्वहन करने के लिए स्थापित स्थानीय स्वशासन के किसी प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन और जिसमें किसी कर, शुल्क, पथकर, उपकर या फीस, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, के उद्ग्रहण, संग्रहण और विनियोजन करने की, शक्तियां विधि द्वारा निहित हों, कोई निधि अभिप्रेत है;

(ख) “नगरपालिका निधि” से किसी महानगर क्षेत्र या नगरपालिका क्षेत्र के संबंध में, लोक कृत्यों का निर्वहन करने के लिए स्थापित स्थानीय स्वशासन के किसी प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन और जिसमें किसी कर, शुल्क, पथकर, उपकर या फीस, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, का उद्ग्रहण, संग्रहण और विनियोजन करने की, शक्तियां विधि द्वारा निहित हों, कोई निधि अभिप्रेत है;” और

(iii) विद्यमान खण्ड (116) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (117) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(116क) “विशिष्ट पहचान चिह्नांकन” से धारा 148क की उप-धारा (2) के खण्ड

(ख) में निर्दिष्ट विशिष्ट पहचान चिह्नांकन अभिप्रेत है और इसमें डिजिटल मुहर, डिजिटल चिह्न या उसी प्रकार का अन्य चिह्नांकन, जो विशिष्ट, सुरक्षित और नहीं हटाया जा सकने योग्य हो, भी सम्मिलित है;”।

3. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 12 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 12 की विद्यमान उप-धारा (4) हटायी जायेगी।

4. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 13 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 13 की विद्यमान उप-धारा (4) हटायी जायेगी।

5. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 20 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 20 में, 1 अप्रैल, 2025 से,-

- (i) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन” के स्थान पर अभिव्यक्ति “इस अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन” प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ii) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन” के स्थान पर अभिव्यक्ति “इस अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन” प्रतिस्थापित की जायेगी।”।

6. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 34 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (2) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“परन्तु प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में कोई कमी अनुज्ञात नहीं की जायेगी, यदि,-

- (i) जहां ऐसा प्राप्तिकर्ता कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है, वहां इनपुट कर प्रत्यय को ऐसे किसी जमा पत्र के कारण से हुआ माना जा सकता है, यदि प्राप्तिकर्ता द्वारा उसका उपभोग कर लिया गया हो और उसका प्रतिलोम नहीं किया गया हो; या
- (ii) अन्य दशाओं में, ऐसे प्रदाय पर कर का भार किसी अन्य व्यक्ति पर डाल दिया गया है।”।

7. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 38 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 38 में,-

- (i) उप-धारा (1) में, विद्यमान शब्द “स्वतःजनित” हटाया जायेगा।
- (ii) उप-धारा (2) में,-
 - (क) विद्यमान अभिव्यक्ति “के अधीन स्वतःजनित” के स्थान पर अभिव्यक्ति “में निर्दिष्ट” प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) खण्ड (क) में, विद्यमान शब्द “और” हटाया जायेगा;

(ग) खण्ड (ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “ब्यौरों के मद्दे” के स्थान पर अभिव्यक्ति “ब्यौरों के कारणों सहित” प्रतिस्थापित की जायेगी;

(घ) इस प्रकार संशोधित खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

“(ग) ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विहित किये जायें।”।

8. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 39 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “और ऐसे समय के भीतर-भीतर, जो विहित किया जाये,” के स्थान पर अभिव्यक्ति “, ऐसे समय के भीतर-भीतर और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किये जायें,” प्रतिस्थापित की जायेगी।

9. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 107 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (6) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“परन्तु किसी कर की मांग को अंतर्वलित किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश की दशा में, ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जायेगी, जब तक अपीलकर्ता द्वारा, उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का, संदाय नहीं कर दिया गया हो।”।

10. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 112 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 112 की उप-धारा (8) में, अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न “।” के स्थान पर विराम चिह्न “:” प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित उप-धारा (8) के पश्चात्, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

“परन्तु किसी कर की मांग को अंतर्वलित किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश की दशा में, ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जायेगी, जब तक कि अपीलकर्ता द्वारा, धारा 107 की उप-धारा (6) के परन्तुक के अधीन संदेय रकम के अतिरिक्त, उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि, का संदाय नहीं कर दिया गया हो।”।

11. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की नई धारा 122ख का अंतःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 122क के पश्चात् और विद्यमान धारा 123 से पूर्व, निम्नलिखित नई धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

“122ख. खोज और अनुसरण क्रियाविधि के अनुपालन में असफल रहने पर शास्ति.-

इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा 148क की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उक्त धारा के उपबंधों के उल्लंघन में कृत्य करता है, तो वह अध्याय 15 के या इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी शास्ति के अतिरिक्त, एक

लाख रुपये या ऐसे माल पर संदेय कर के दस प्रतिशत के बराबर रकम, जो भी अधिक हो, की शास्ति का संदाय करने के लिये दायी होगा।”।

12. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की नई धारा 148क का अंतःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 148 के पश्चात् और विद्यमान धारा 149 से पूर्व, निम्नलिखित नई धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

“148क. कतिपय माल के लिए खोज और अनुसरण क्रियाविधि.- (1) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,-

(क) माल;

(ख) व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग, जो ऐसे माल को कब्जे में रखते हैं या उसमें व्यवहार करते हैं,

को, जिन पर इस धारा के उपबंध लागू होंगे, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) सरकार, उप-धारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट माल के संबंध में,-

(क) ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से, जो विहित किये जायें, विशिष्ट पहचान चिह्नांकन चिपकाने के लिए और इलेक्ट्रानिक भंडारण तथा इसमें अंतर्विष्ट सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए, किसी प्रणाली का उपबंध कर सकेगी; और

(ख) ऐसे माल के लिए विशिष्ट पहचान चिह्नांकन को, उसमें अभिलिखित की जाने वाली सूचना सहित, विहित कर सकेगी।

(3) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति,-

(क) उक्त माल या उसके पैकेजों पर, ऐसी सूचना को अंतर्विष्ट करते हुए और ऐसी रीति से, एक विशिष्ट पहचान चिह्नांकन चिपकायेगा;

(ख) ऐसे समय के भीतर, ऐसी सूचना और ब्यौरे प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, ऐसे अभिलेखों या दस्तावेजों का संधारण करेगा;

(ग) ऐसे माल के विनिर्माण के कारबार के स्थान में संस्थापित मशीनरी के ब्यौरे, जिसमें पहचान, क्षमता, प्रचालन की अवधि और अन्य ब्यौरे या सूचना भी सम्मिलित है, ऐसे समय के भीतर-भीतर और ऐसे प्ररूप में ओर ऐसी रीति से प्रस्तुत करेगा;

(घ) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट प्रणाली के संबंध में, ऐसी रकम का संदाय करेगा,

जो विहित की जाये।”।

13. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की अनुसूची 3 का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची 3 में,-

(i) पैरा 8 में, विद्यमान खण्ड (क) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ख) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अंतःस्थापित किया जायेगा और 1 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात्:-

“(कक) किसी व्यक्ति को या घरेलू टैरिफ क्षेत्र को निर्यात के लिए निकासी से पूर्व विशेष आर्थिक जोन में या किसी मुक्त व्यापार भांडागार जोन में भांडागारित माल का प्रदाय;”;

(ii) **स्पष्टीकरण 2** में, विद्यमान अभिव्यक्ति “पैरा 8” के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति, “के प्रयोजनों” से पूर्व, अभिव्यक्ति “के खण्ड (क)” अंतःस्थापित की जायेगी और 1 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित की गयी समझी जायेगी।

(iii) इस प्रकार संशोधित **स्पष्टीकरण 2** के पश्चात्, निम्नलिखित नया **स्पष्टीकरण 3** अंतःस्थापित किया जायेगा और 1 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात्:-

“**स्पष्टीकरण 3.-** पैरा 8 के खण्ड (कक) के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्तियों “विशेष आर्थिक जोन”, “मुक्त व्यापार भांडागार जोन” और “स्वदेशी टैरिफ क्षेत्र” के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें क्रमशः विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 28) की धारा 2 में समनुदेशित किये गये हैं।”।

14. संगृहीत कर का प्रतिदाय न किया जाना.- समस्त ऐसे संगृहीत करों का कोई प्रतिदाय नहीं किया जायेगा, जो इस प्रकार संगृहीत नहीं किये गये होते, यदि धारा 13 समस्त तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के राज्य के भीतर प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए उपबंध करने की दृष्टि से राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अधिनियमित किया गया था।

जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक की सिफारिश पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में विभिन्न संशोधन किये गये थे। ये वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 7) के माध्यम से अधिनियमित किये गये थे। जिन्हें माननीय राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात् 29 मार्च, 2025 को राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है।

चूंकि, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम तथा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम के उपबंध समान हैं। तदनुसार, जीएसटी विधि के विनिश्चय और लागू होने में एकरूपता बनाए रखने के लिए, राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में तदनु रूप संशोधन किया जाना अपेक्षित है। प्रस्तावित राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025, अन्य बातों के साथ-साथ, वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 7) के माध्यम से संशोधित, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अनुसार संशोधनों का उपबंध करता है।

प्रस्तावित राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है, अर्थात्:-

विधेयक का खण्ड 2 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 2 को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जो परिभाषाओं से संबंधित है।

उक्त धारा 2 के खण्ड (61) में “इनपुट सेवा वितरक” की परिभाषा को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे अंतरराज्यीय प्रदायों के संबंध में इनपुट सेवा वितरक द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का वितरण स्पष्टतया किया जा सके, जिस पर इनपुट सेवा वितरक की परिभाषा में एकीकृत माल और सेवा कर की धारा 5 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) के प्रति निर्देश को अंतःस्थापित करके प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर संदत्त किया गया हो। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा।

इसके अतिरिक्त धारा 2 के खण्ड (69) का उप-खण्ड (ग) संशोधित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे कि पद “नगरपालिका या स्थानीय निधि” के स्थान पर पद “नगरपालिका निधि या स्थानीय निधि” प्रतिस्थापित किये जा सके और उक्त उप-खण्ड के पश्चात् एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जा सके, जिससे उक्त खण्ड के अधीन “स्थानीय प्राधिकारी” की परिभाषा में प्रयुक्त पदों “स्थानीय

निधि” और “नगरपालिका निधि” की परिभाषाओं का उपबंध करके उक्त पदों की परिधि को स्पष्ट किया जा सके।

धारा 2 में एक नया खण्ड (116क) अंतःस्थापित किया जाना भी प्रस्तावित है, जिससे कि खोज और अनुसरण क्रियाविधि के कार्यान्वयन हेतु एक विशिष्ट, सुरक्षित और नहीं हटाया जा सकने योग्य चिह्न को अर्थ देने के लिए, अभिव्यक्ति “विशिष्ट पहचान चिह्नांकन” को परिभाषित किया जा सके।

विधेयक का खण्ड 3 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (4) को हटाये जाने के लिए ईप्सित है, जिससे कि वाउचरों में संव्यवहार के संबंध में प्रदाय के समय के लिए उपबंध को हटाया जा सके, चूंकि यह न तो माल का प्रदाय है और न ही सेवाओं का प्रदाय है।

विधेयक का खण्ड 4 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) को हटाये जाने के लिए ईप्सित है, जिससे कि वाउचरों में संव्यवहार के संबंध में प्रदाय के समय के लिए उपबंध को हटाया जा सके, चूंकि यह न तो माल का प्रदाय है और न ही सेवाओं का प्रदाय है।

विधेयक का खण्ड 5 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (1) को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे कि, ऐसे अंतरराज्यीय प्रदाय जिन पर उक्त उप-धारा में एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) के प्रति निर्देश को अंतःस्थापित करके, प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर संदत्त किया गया हो, के संबंध में इनपुट सेवा वितरक द्वारा इनपुट कर प्रत्यय के वितरण के लिए स्पष्ट रूप से उपबंध किया जा सके।

इसके अतिरिक्त यह उक्त धारा की उप-धारा (2) को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे कि ऐसे अंतरराज्यीय प्रदाय जिन पर उक्त उप-धारा में एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) के प्रति निर्देश को अंतःस्थापित करके, प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर संदत्त किया गया हो, के संबंध में इनपुट सेवा वितरक द्वारा इनपुट कर प्रत्यय के वितरण के लिए स्पष्ट रूप से उपबंध किया जा सके। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खण्ड 6 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (2) के परन्तुक को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे कि उक्त जमा पत्र के संबंध में प्रदायकर्ता के कर दायित्व को कम करने के प्रयोजन के लिए, रजिस्ट्रीकृत प्राप्तिकर्ता द्वारा, यदि उपभोग कर

लिया गया है, जमा पत्र के संबंध में तत्संबंधी इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिलोम की अपेक्षा के लिए स्पष्ट रूप से उपबंध किया जा सके।

इसके अतिरिक्त यह खण्ड उक्त परन्तुक में ऐसी शर्त को भी हटाने के लिए ईप्सित है, जिसमें उक्त जमा पत्र के संबंध में प्रदायकर्ता के कर दायित्व को कम करने के प्रयोजन के लिए प्रदाय पर ब्याज का भार नहीं डाला गया है।

विधेयक का खण्ड 7, उक्त उप-धारा में इनपुट कर प्रत्यय के विवरण के संबंध में अभिव्यक्ति “स्वतःजनित” को हटाने के लिए राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (1) को संशोधित किए जाने के लिए ईप्सित है।

इसके अतिरिक्त यह उक्त उप-धारा में इनपुट कर प्रत्यय के विवरण के संबंध में अभिव्यक्ति “के अधीन स्वतःजनित विवरण” को हटाकर उक्त धारा की उप-धारा (2) को संशोधित करने के लिए और उक्त उप-धारा के खण्ड (ख) में, अभिव्यक्ति “ब्यौरों के मद्दे” के स्थान पर अभिव्यक्ति “ब्यौरों के कारणों सहित” को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है, जिससे कि उक्त उप-धारा को ऐसे अन्य मामले जहां इनपुट कर प्रत्यय अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन करदाता को उपलब्ध नहीं है, को समाविष्ट करने के लिए समावेशी बनाया जा सके।

इसके अतिरिक्त यह खण्ड उक्त उप-धारा में, इनपुट कर प्रत्यय के विवरण में उपलब्ध कराए जाने वाले अन्य ब्यौरों को विहित करने के लिए एक सामर्थ्यकारी खण्ड का उपबंध करने के लिए एक नया खण्ड (ग) जोड़ता है।

विधेयक का खण्ड 8 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (1) को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे कि उक्त उप-धारा के अधीन विवरणी फाइल करने के लिए शर्तों और निर्बंधनों को विहित करने के लिए एक सामर्थ्यकारी खण्ड का उपबंध किया जा सके।

विधेयक का खण्ड 9 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (6) के परन्तुक को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है, जिससे ऐसे आदेश, जिसमें किसी कर की मांग को अंतर्वलित किए बिना शास्ति की मांग अंतर्वलित है, के विरुद्ध किसी अपील प्राधिकारी के समक्ष कोई अपील फाइल करने के लिए शास्ति की रकम के दस प्रतिशत के पूर्व निक्षेप की अपेक्षा के लिए उपबंध किया जा सके।

विधेयक का खण्ड 10 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 112 की उप-धारा (8) में एक परन्तुक को जोड़ने के लिए ईप्सित है, जिससे ऐसे आदेश जिसमें किसी कर की मांग को अंतर्वलित किए बिना शास्ति की मांग अंतर्वलित है, के विरुद्ध किसी अपील अधिकरण के समक्ष कोई

अपील फाइल करने के लिए शास्ति की रकम के दस प्रतिशत के पूर्व निक्षेप की अपेक्षा के लिए उपबंध किया जा सके।

विधेयक का खण्ड 11 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम में एक नई धारा 122ख, अंतःस्थापित करने के लिए ईप्सित है, जिससे खोज और अनुसरण क्रियाविधि से संबंधित उपबंध के उल्लंघन के लिए दण्डिक उपबंधों का उपबंध किया जा सके।

विधेयक का खण्ड 12 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम में एक नई धारा 148क अंतःस्थापित करने के लिए ईप्सित है, जिससे कि विनिर्दिष्ट वस्तुओं के प्रदाय की प्रभावी मानिट्रिंग और नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए खोज और अनुसरण क्रियाविधि के कार्यान्वयन हेतु एक सामर्थ्यकारी उपबंध का उपबंध किया जा सके।

विधेयक का खण्ड 13 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची 3 के पैरा 8 में एक नया खण्ड (कक) अंतःस्थापित करने के लिए ईप्सित है, जिससे यह विनिर्दिष्ट किया जा सके कि किसी व्यक्ति को या घरेलू टैरिफ क्षेत्र को निर्यात के लिए निकासी से पूर्व विशेष आर्थिक जोन में या किसी मुक्त व्यापार भांडागार जोन में भांडागारित माल के प्रदाय को न तो माल के प्रदाय के रूप में और न ही सेवाओं के प्रदाय के रूप में माना जाएगा।

इसके अतिरिक्त यह उक्त अनुसूची के **स्पष्टीकरण 2** को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि उक्त स्पष्टीकरण उक्त अनुसूची के पैरा 8 के खण्ड (क) के संबंध में लागू होगा।

यह खण्ड उक्त अनुसूची में **स्पष्टीकरण 3** अंतःस्थापित करने के लिए भी ईप्सित है, जिससे उक्त अनुसूची के पैरा 8 में प्रस्तावित खण्ड (कक) के प्रयोजन के लिए “विशेष आर्थिक जोन”, “मुक्त व्यापार भांडागार जोन” और “स्वदेशी टैरिफ क्षेत्र” को परिभाषित किया जा सके।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2017 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खण्ड 14 यह स्पष्ट करने के लिए ईप्सित है कि उपरोक्त क्रियाकलापों या संव्यवहारों के संबंध में पहले ही संदत्त कर का कोई प्रतिदाय उपलब्ध नहीं होगा।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

भजन लाल शर्मा,
प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अधीन माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपि: संख्या प. 2(20) विधि/2/2025 जयपुर, दिनांक 31 अगस्त, 2025)

प्रेषक: भजन लाल शर्मा, प्रभारी मंत्री, प्रेषित: प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के प्रसंग में, मैं, राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूँ।

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 में राजस्थान की संचित निधि से कोई आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्वलित नहीं है।

भजन लाल शर्मा,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 7 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 38 की उप-धारा (2) को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे राज्य सरकार को, नियमों द्वारा विवरण में अन्य ब्यौरे उपलब्ध कराए जाने का उपबंध करने के लिए सशक्त किया जा सके।

विधेयक का खण्ड 12, राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में, कतिपय माल के लिए खोज और अनुसरण क्रियाविधि से संबंधित एक नयी धारा 148क अंतःस्थापित करने के लिए ईप्सित है। उक्त धारा 148क की उप-धारा (2) ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से, जिनको ऐसी प्रणाली प्रदान की जाए, विशिष्ट पहचान चिह्नांकन चिपकाने में और इलेक्ट्रॉनिक भंडारण और सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए, राज्य सरकार को, नियमों द्वारा किसी प्रणाली का उपबंध करने के लिए, सशक्त करने के लिए ईप्सित है।

इसके अतिरिक्त यह ऐसे माल के लिए किसी विशिष्ट पहचान चिह्नांकन, जिसके अंतर्गत उसमें अभिलिखित की जाने वाली जानकारी सम्मिलित है का, राज्य सरकार को, नियमों द्वारा, उपबंध करने के लिए सशक्त करने के लिए ईप्सित है। उक्त धारा 148क की उप-धारा (3), खण्ड (क) के अधीन माल और पैकेजों पर ऐसी सूचना को अंतर्विष्ट करते हुए और ऐसी रीति से, कोई विशिष्ट पहचान चिह्नांकन चिपकाने के लिए, खण्ड (ख) के अधीन ऐसी जानकारी और ब्यौरे, ऐसे प्ररूप में और रीति से, ऐसे समय के भीतर-भीतर, प्रस्तुत करने के लिए और अभिलेखों या दस्तावेजों का अनुरक्षण करने के लिए, खण्ड (ग) के अधीन ऐसे समय के भीतर-भीतर और ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति से, जिसमें अन्य ब्यौरे प्रस्तुत किए जायेंगे और उक्त धारा की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन संदत्त की जाने वाली रकम का नियमों द्वारा उपबंध करके राज्य सरकार को, को सशक्त करने के लिए ईप्सित है।

ऐसे मामले, जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और ब्यौरों से संबंधित मामले हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है। अतः, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

भजन लाल शर्मा,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

भारत भूषण शर्मा,
प्रमुख सचिव।

Bill No.16 of 2025

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX (SECOND AMENDMENT) BILL,
2025**

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2025.

(2) Section 2(i) and section 5 shall be deemed to have been effective from 1st day of April, 2025.

(3) Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 2 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), hereinafter referred to as the principal Act,-

(i) in clause (61), after the existing expression “section 9” and before the existing punctuation mark “,”, the expression “of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act No. 13 of 2017)” shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2025;

(ii) in clause (69),-

(a) in sub-clause (c), after the existing expression “management of a municipal” and before the existing expression “or local fund”, the expression “fund” shall be inserted;

(b) after the existing sub-clause (c) and before the existing sub-clause (d), the following new Explanation shall be inserted, namely:-

“**Explanation.-** For the purposes of this sub-clause-

(a) “local fund” means any fund under the control or management of an authority of a local self-government established for discharging civic functions in relation to a Panchayat area and vested by law with the powers to levy, collect and appropriate any tax, duty, toll, cess or fee, by whatever name called;

(b) “municipal fund” means any fund under the control or management of an authority of a local self-government established for discharging civic functions in relation to a Metropolitan area or Municipal area and vested by law with the powers to levy, collect and appropriate any tax, duty, toll, cess or fee, by whatever name called;” and

(iii) after the existing clause (116) and before the existing clause (117), the following new clause shall be inserted, namely:-

“(116A) “unique identification marking” means the unique identification marking referred to in clause (b) of sub-section (2) of section 148A and includes a digital stamp, digital mark or any other similar marking, which is unique, secure and non-removable;”.

3. Amendment of section 12, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- The existing sub-section (4) of section 12 of the principal Act, shall be deleted.

4. Amendment of section 13, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- The existing sub-section (4) of section 13 of the principal Act, shall be deleted.

5. Amendment of section 20, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 20 of the principal Act, with effect from the 1st day of April, 2025,-

- (i) in sub-section (1), after the existing expression “section 9” and before the existing punctuation mark “;”, the expression “of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act No. 13 of 2017)” shall be inserted;
- (ii) in sub-section (2), after the existing expression “section 9” and before the existing expression “paid by a distinct person”, the expression “of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017(Central Act No. 13 of 2017),” shall be inserted.

6. Amendment of section 34, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-The existing proviso to sub-section (2) of section 34 of the principal Act, shall be substituted, namely:-

“Provided that no reduction in output tax liability of the supplier shall be permitted, if the-

(i) input tax credit as is attributable to such a credit note, if availed, has not been reversed by the recipient, where such recipient is a registered person; or

(ii) incidence of tax on such supply has been passed on to any other person, in other cases.”.

7. Amendment of section 38, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 38 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1), for the existing expression “an auto-generated statement”, the expression “a statement” shall be substituted;

(ii) in sub-section (2),-

(a) for the existing expression “auto-generated statement under”, the expression “statement referred in” shall be substituted;

(b) in clause (a), the existing word “and” shall be deleted;

(c) in clause (b), after the existing expression “by the recipient,” and before the existing expression “on account of”, the word “including” shall be inserted;

(d) after clause (b) so amended, the following new clause shall be added, namely:-

“(c) such other details as may be prescribed.”.

8. Amendment of section 39, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (1) of section 39 of the principal Act, for the existing expression “and within such time”, the expression “within such time, and subject to such conditions and restrictions” shall be substituted.

9. Amendment of section 107, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- The existing proviso to sub-section (6) of section 107 of the principal Act, shall be substituted, namely:-

“Provided that in case of any order demanding penalty without involving demand of any tax, no appeal shall be filed against such order unless a sum equal to ten per cent. of the said penalty has been paid by the appellant.”.

10. Amendment of section 112, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (8) of section 112 of the principal Act, for the existing punctuation mark “.” appearing at the end, the punctuation mark “:” shall be substituted and after sub-section (8) so amended, the following new proviso shall be added, namely:-

“Provided that in case of any order demanding penalty without involving demand of any tax, no appeal shall be filed against such order unless a sum equal to ten per cent. of the said penalty, in addition to the amount payable under the proviso to sub-section (6) of section 107 has been paid by the appellant.”.

11. Insertion of new section 122B, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing section 122A and before the existing section 123 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

“122B. Penalty for failure to comply with track and trace mechanism.- Notwithstanding anything contained in this Act, where any person referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 148A acts in contravention of the provisions of the said section, he shall, in addition to any penalty under Chapter XV or the provisions of this Chapter, be liable to pay a penalty equal to an amount of one lakh rupees or ten per cent. of the tax payable on such goods, whichever is higher.”.

12. Insertion of new section 148A, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing section 148 and before the existing section 149 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

“148A. Track and trace mechanism for certain goods.- (1) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify,-

(a) the goods;

(b) persons or class of persons who are in possession or deal with such goods,

to which the provisions of this section shall apply.

(2) The Government may, in respect of the goods referred to in clause (a) of sub-section (1),-

(a) provide a system for enabling affixation of unique identification marking and for electronic storage and access of information contained therein, through such persons, as may be prescribed; and

(b) prescribe the unique identification marking for such goods, including the information to be recorded therein.

(3) The persons referred to in sub-section (1), shall,-

(a) affix on the said goods or packages thereof, a unique identification marking, containing such information and in such manner;

(b) furnish such information and details within such time and maintain such records or documents, in such form and manner;

(c) furnish details of the machinery installed in the place of business of manufacture of such goods, including the identification, capacity, duration of operation and such other details or information, within such time and in such form and manner;

(d) pay such amount in relation to the system referred to in sub-section (2),

as may be prescribed.”.

13. Amendment of Schedule III, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In Schedule III to the principal Act,-

(i) in paragraph 8, after the existing clause (a) and before the existing clause (b), the following new clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:-

“(aa) Supply of goods warehoused in a Special Economic Zone or in a Free Trade Warehousing Zone to any person before clearance for exports or to the Domestic Tariff Area;”;

(ii) in Explanation 2, after the existing expression “For the purposes of” and before the existing expression “paragraph 8”, the expression “clause (a) of” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017;

(iii) after Explanation 2 so amended, the following new Explanation 3 shall be inserted and shall be deemed to have been added with effect from the 1st day of July, 2017, namely:-

“**Explanation 3.-** For the purposes of clause (aa) of paragraph 8, the expressions “Special Economic Zone”, “Free Trade Warehousing Zone” and “Domestic Tariff Area” shall have the same meanings respectively as assigned to them in section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (Central Act No. 28 of 2005).”.

14. No refund of tax collected.- No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, had section 13 been in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 was enacted with a view to make a provision for levy and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both by the State Government.

On the recommendation of the GST Council in its 55th Meeting, various amendments to the Central Goods and Services Tax Act, 2017, were carried out. These were enacted through the Finance Act, 2025(Central Act No. 7 of 2025) which has been published in the Official Gazette on 29th March, 2025, after the assent of Hon'ble President.

Since, the provisions of the Central Goods and Services Tax Act and the Rajasthan Goods and Services Tax Act are similar. Accordingly, to maintain uniformity of decision and applicability of the GST Law corresponding amendments are required to be made in the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017. The proposed Rajasthan Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2025, inter alia, provides for the amendments as per Central Goods and Services Tax Act, amended through the Finance Act, 2025(Central Act No. 7 of 2025).

The proposed Rajasthan Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2025, inter alia, provides for the following, namely:-

Clause 2 of the Bill seeks to amend section 2 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act relating to definitions.

It is proposed to amend the definition of “Input Service Distributor” in clause (61) of said section 2 so as to explicitly provide for distribution of input tax credit by the Input Service Distributor in respect of inter-state supplies, on which tax has to be paid on reverse charge basis, by inserting reference to sub-section (3) and sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act in the definition of Input Service Distributor. This amendment shall take effect from 1st day of April, 2025.

It is further proposed to amend sub-clause (c) of clause (69) of section 2 so as to substitute the term “municipal or local fund” with the terms “municipal fund or local fund” and to insert an Explanation after the said sub-clause, to provide the definitions of the terms “local fund” and “municipal fund” used in the definition of “local authority” under the said clause so as to clarify the scope of the said terms.

It is also proposed to insert a new clause (116A) in section 2 so as to define the expression “unique identification marking” to mean a mark that is unique, secure and non-removable, for implementation of track and trace mechanism.

Clause 3 of the Bill seeks to delete sub-section (4) of section 12 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act so as to remove the provision for time of supply in respect of transaction in vouchers, the same being neither supply of goods nor supply of services.

Clause 4 of the Bill seeks to delete sub-section (4) of section 13 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act so as to remove the provision for time of supply in respect of transaction in vouchers, the same being neither supply of goods nor supply of services.

Clause 5 of the Bill seeks to amend sub-section (1) of section 20 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act so as to explicitly provide for distribution of input tax credit by the Input Service Distributor in respect of inter-State supplies, on which tax has to be paid on reverse charge basis, by inserting a reference to sub-section (3) and sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act in the said sub-section.

It further seeks to amend sub-section (2) of the said section so as to explicitly provide for distribution of input tax credit by the Input Service Distributor in respect of inter-State supplies, on which tax has to be paid on reverse charge basis, by inserting reference to sub-section (3) and sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act in the said sub-section. This amendment shall take effect from 1st day of April, 2025.

Clause 6 of the Bill seeks to amend the proviso to sub-section (2) of section 34 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act so as to explicitly provide for the requirement of reversal of corresponding input tax credit in respect of a credit-note, if availed, by the registered recipient, for the purpose of reduction of tax liability of the supplier in respect of the said credit-note.

It further seeks to remove the condition in the said proviso of not having passed the incidence of interest on supply for the purpose of reduction of tax liability of the supplier in respect of the said credit-note.

Clause 7 of the Bill seeks to amend sub-section (1) of section 38 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act to delete the expression “auto-generated” with respect to statement of input tax credit in the said sub-section.

It further seeks to amend sub-section (2) of the said section by deleting the expression “auto-generated” with respect to statement of input tax credit in the said sub-section and inserting the expression “including” after the words “by the recipient,” in clause (b) of said sub-section so as to make the said sub-section inclusive to cover other cases where input tax credit is not available to taxpayer under any other provisions of the Act.

It further adds a new clause (c) in the said sub-section to provide for an enabling clause to prescribe other details to be made available in statement of input tax credit.

Clause 8 of the Bill seeks to amend sub-section (1) of section 39 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act so as to provide for an enabling clause to prescribe conditions and restrictions for filing of return under the said sub-section.

Clause 9 of the Bill seeks to substitute the proviso to sub-section (6) of section 107 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act to provide for the requirement of pre-deposit of ten per cent. of the penalty amount for filing an appeal before the Appellate Authority against an order which involves demand of penalty without involving any demand of tax.

Clause 10 of the Bill seeks to add a proviso to sub-section (8) of section 112 of Rajasthan Goods and Services Tax Act to provide for the requirement of pre-deposit of ten per cent. of the penalty amount for filing an appeal before the Appellate Tribunal against an order which involves demand of penalty without involving any demand of tax.

Clause 11 of the Bill seeks to insert a new section 122B in the Rajasthan Goods and Services Tax Act to provide for penal provisions for contraventions of the provision relating to track and trace mechanism.

Clause 12 of the Bill seeks to insert a new section 148A in the Rajasthan Goods and Services Tax Act so as to provide for an enabling provision for implementation of track and trace mechanism for ensuring effective monitoring and control of supply of specified commodities.

Clause 13 of the Bill seeks to insert a new clause (aa) in paragraph 8 of Schedule III of the Rajasthan Goods and Services Tax Act to specify that the supply of goods warehoused in a Special Economic Zone or in a Free Trade Warehousing Zone to any person before clearance for exports or to the Domestic Tariff Area shall be treated neither as supply of goods nor as supply of services.

It further seeks to amend the **Explanation 2** of the said Schedule to clarify that the said Explanation shall be applicable in respect of clause (a) of paragraph 8 of the said Schedule.

It also seeks to insert an **Explanation 3** in the said Schedule to define the expressions “Special Economic Zone”, “Free Trade Warehousing Zone” and “Domestic Tariff Area”, for the purpose of the proposed clause (aa) in paragraph 8 of said Schedule.

These amendments shall take effect retrospectively with effect from the 1st day of July, 2017.

Clause 14 of the Bill seeks to clarify that no refund of the tax, already paid in respect of the aforesaid activities or transactions, shall be available.

The Bill seeks to achieve the above objectives.

Hence the Bill.

भजन लाल शर्मा,
Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अधीन माननीय राज्यपाल महोदय की
सिफारिश।

(प्रतिलिपि: संख्या प. 2(20) विधि/2/2025 जयपुर, दिनांक 31 अगस्त, 2025)

प्रेषक: भजन लाल शर्मा, प्रभारी मंत्री, प्रेषित: प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के प्रसंग में, मैं, राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूं।

FINANCIAL MEMORANDUM

The Proposed Rajasthan Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2025 does not involve any recurring or non-recurring expenditure from the Consolidated Fund of Rajasthan.

भजन लाल शर्मा,
Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 7 of the Bill seeks to amend sub-section (2) of section 38 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 to empower the State Government to provide by rules other details to be made available in the statement.

Clause 12 of the Bill seeks to insert a new section 148A in the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017, relating to track and trace mechanism for certain goods. Sub-section (2) of the said section 148A seeks to empower the State Government to provide by rules a system for enabling affixation of unique identification marking and for electronic storage and access of information and the person through whom such system may be provided.

It further seeks to empower the State Government to provide by rules the Unique Identification marking for goods including the information to be recorded therein. Sub-section (3) of the said section 148A seeks to empower the State Government to provide by rules, the information to be contained in, and the manner of affixing on the goods and packages a unique identification marking under clause (a), the form and manner and the time for furnishing information and details and maintaining records or documents under clause (b), the time within which and the form and manner in which other details shall be furnished under clause (c) and the amount to be paid under clause (d) of the said sub-section (2).

The matters in respect of which rules may be made and matters of procedure and details and it is not practicable to provide for them in the Bill itself. The delegation of legislative powers is, therefore, of a normal character.

भजन लाल शर्मा,
Minister Incharge.

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

BHARAT BHUSHAN SHARMA,
Principal Secretary.

Government Central Press, Jaipur.